राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–2)विभाग

क्रमांक प0 17(14)कार्मिक/क–2/2014 जयपुर, दिनांक 1-9 SEP 2016

परिपत्र

1.समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2.समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

विषयः–राज्य के अधीन बोर्ड/निगम/अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं के ग्रेड–पे रूपये 3600/– या इससे कम ग्रेड–पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये जाने के संबंध में ।

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 8(7)कार्मिक/क–2/2008 दिनांक 29.1.2014 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड नियम, 2014 जारी किये गये। उक्त नियमों के नियम–8 में बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कृत्यों के संबंध में प्रावधान विहित है । जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के, रूपये 3600/– ग्रेड पे तक के पदों पर, भर्ती हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को अधिकार दिए गए हैं।

राजस्थान सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ उपस्थित हुआ है कि राज्य के अधीन कार्यरत विभिन्न बोर्डों/ निगमों/ स्वायत्तशाषी संस्थाओं के लिए भी, राज्य सरकार की अधीनस्थ/मंत्रालयिक सेवा के (रूपये 3600/– ग्रेड पे तक के) पदों के समकक्ष पदों पर, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं । प्रकरण का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण किया जाकर यह विनिश्चय किया गया है कि यदि कोई बोर्ड/ निगम/ स्वायत्तशाषी संस्था ऐसे पदों पर राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती कराने की इच्छुक हो तो, ऐसी भर्ती राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निम्न शर्तों के अध्यधीन कराई जा सकेगीः–

1. यदि संबंधित संस्था का शाषी बोर्ड (Governing Body) तत्संबंधी प्रस्ताव पारित करे तथा ऐसे प्रस्ताव के साथ अर्थनां 'चयन बोर्ड' को निर्धारित रीति से प्रेषित की जावे।
2. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, ऐसे पद विशेष की भर्ती हेतु अपनी सहमति प्रदान करे।
3. ऐसी बोर्ड/ निगम/ स्वायत्तशाषी संस्था और 'चयन बोर्ड' के मध्य भर्ती प्रक्रिया, लिए जाने वाले शुल्क आदि को लेकर सहमति बने, जिससे आगे भी दोनों पक्ष पाबंद रहें।
4. राज्य सरकार पर ऐसी भर्ती के कारण कोई अतिरिक्त वित्तीय भार न आवे ।

भविष्य में इच्छुक संस्थाऐं उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

(भास्कर ए.सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड,दुर्गापुरा, जयपुर ।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर ।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।

(ओ0पी0गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

38/2016